

ए.12018 / 05 / 2022-एम.एच.2 / एन.सी.डी.-1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1


निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: नवम्बर, 2022

जन-सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ तकनीशियन (लौहकार) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी-1.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


14/11

(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं0 011-2306 2666

अधिसूचना

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में कनिष्ठ तकनीशियन(लौहकार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, कनिष्ठ तकनीशियन (लौहकार) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता** - वह व्यक्ति, -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ तकनीशियन (तौहकार)	01*(एक) (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	लागू नहीं होता।	25 वर्ष व उससे कम। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>
<p>शैक्षिक अर्हताएं: (7)</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण। (2) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से कम से कम 2 वर्ष की अवधि का तौहकार व्यवसाय पाठ्यक्रम में आइटीआई।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्रितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>(8)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	<p>(9)</p> <p>दो वर्ष</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (पुनर्वास) - सदस्य; 3. प्रोफेसर(भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास) - सदस्य; 4. प्रोफेसर(पी और ओ) - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

(ए.12018/05/2022-एमएच.॥)

(धर्मिन्दर सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार